

अत्यावश्यक

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-प्रारं/बजट/बी-1/9520/विविध/2016-17/5

दिनांक: 27-4-2016

1. उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।
2. जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।

विषय:- विभागीय अधिकारियों/विभागों/बोर्ड/निगमों/संस्थाओं के बैंक खातों की समीक्षा के क्रम में।

सन्दर्भ:-संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प.1(20)प्राशि/आयो./2015 दिनांक 21-4-2016 तथा विशिष्ट शासन सचिव (बजट) की अ.शा.टीप क्रमांक प.21(2)विमा/2010 दिनांक 11-04-2016.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र एवं अ.शा. टीप की प्रति संलग्न कर लेख है कि आपके कार्यालय तथा आपके मण्डल/जिले में स्थित प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों के बैंक खातों की सूचना संकलित कर समेकित सूचना आगामी तीन दिवस में निश्चित रूप से सॉफ्ट कॉपी (एक्सल में) तथा हार्ड कॉपी (हस्ताक्षरित प्रति स्केन कर) इस कार्यालय को मेल आई.डी. budgetele.edu@gmail.com पर भिजवाने की व्यवस्था करें। उक्त सूचना राज्य सरकार को अविलम्ब भेजी जानी है। अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावे।

६७
वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
2. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त।
3. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अनुभागाधिकारी, पेंशन स्थिरीकरण (नियम)/योजना/अंकमिलान अनुभाग।

वित्तीय सलाहकार

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,

F.A

25/4/2016



विभागीय अधिकारियों/विभागों/बोर्ड/निगमों/संस्थाओं के बैंक खातों की समीक्षा के क्रम में।
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) की अ.शा.टीप संख्या प. 21(2)विमा/2010 दिनांक 11.04.2016

महोदय,

Budget

FA
26-4-16
25/4/16

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि वित्त विभाग द्वारा बैंक खातों के संबंध में समीक्षा की जानी है। अतः आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खुले हुए बैंक खातों के संबंध में वित्त विभाग के पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में इकजाई सूचना सहित संबंधित वरिष्ठतम अधिकारी को संलग्न कार्यक्रमानुसार विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) के कक्ष में आयोजित बैठक में भिजवाने का श्रम करायें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

(283)

Date 26/04/16
V
26/4

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

S 2058
10/4/16

विषय :- विभागीय अधिकारियों/विभागों/बोर्ड/निगमों/संस्थाओं के बैंक खातों की समीक्षा के क्रम में।

DSEE
JSL/CP
13/4/16

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.2016 द्वारा वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को, विभाग में किसी एक योजना से संबंधित एक से अधिक बैंक खातों को बन्द करने, बन्द हो चुकी योजना की अवशेष राशि को राजकोष में जमा कराने एवं वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता होने पर वित्त विभाग की पूर्वानुमति से बैंक खाते खोलने के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही, यह अपेक्षा भी की गई थी कि इन निर्देशों की पालना सख्ती से की जावे।

13/4/16

परन्तु वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि अभी भी कतिपय विभागों द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समीक्षा की जानी है। अतः आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं/बोर्डों/निगमों के खुले हुए बैंक खातों के संबंध में संलग्न प्रारूप में इकजाई सूचना सहित संबंधित विभागाध्यक्ष/संस्थाओं/बोर्डों/निगमों के वरिष्ठतम अधिकारी के साथ लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी को संलग्न कार्यक्रमानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में आयोजित बैठक में सम्मिलित होने हेतु कृपया निर्देश प्रदान करावे।

R.O
20446

प्राप्ति दिनांक 26/2/16
दिनांक 21/4/16

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

Moharaj
Ambroja

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
अशा.टीप क्रमांक : प.21(2)विमा/2010
जयपुर, दिनांक : 11 अप्रैल, 2016

| क्र. सं. | विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था का नाम | विद्यमान बैंक खातों का विवरण | | प्रत्येक बैंक खाता खोलने का उद्देश्य | क्या वित्त विभाग से बैंक खाता खोलने की स्वीकृति प्राप्त की गई थी (हां/नहीं) | दिनांक 31.03.16 को शेष राशि | विशेष विवरण |
|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| | | खाता संख्या एवं प्रकार | बैंक का नाम | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

नोट :- कृपया बोर्ड/निगम/संस्था के अधिकारी अपने साथ बोर्ड/निगम/संस्था के गठन की अधिसूचना/आधिनियम की प्रति, बोर्ड/निगम/संस्था के गठन के उद्देश्य, आय के स्रोत, गत तीन वर्षों के व्यय का मदवार विवरण की सूचना साथ लावें।